

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग


क्रमांक : प. 6(5)प्र.सु./अनु.-3/2017

जयपुर, दिनांक 05/7/2017

आज्ञा


समसंख्यक आज्ञा दिनांक 23.02.2017 द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति में लागू किये गये पुनरीक्षित वेतनमान (पे लेवल) के दृष्टिगत राज्य कर्मचारियों के लिए राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में विद्यमान रनिंग पे ब्रेण्ड एवं ग्रेड पे के सन्दर्भ पुनरीक्षित वेतनमान (पे लेवल) निर्धारित करने हेतु श्री डी.सी. सामन्त, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. की अध्यक्षता में गठित समिति का कार्यकाल दिनांक 15.08.2017 तक बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से


(डा. प्रेम सिंह चौरण) 05/07/17
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. श्री डी.सी. सामन्त, सेवानिवृत्त आई.ए.एस।
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
6. शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. श्री डी.के. मित्तल, सेवानिवृत्त राजस्थान लेखा सेवा अधिकारी।
10. श्री एम.पी. दीक्षित, सेवानिवृत्त राजस्थान लेखा सेवा अधिकारी।
11. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, वित्त (नियम) विभाग, जयपुर को आदेश की अतिरिक्त प्रतियां समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित है।
12. रक्षित पत्रावली।


(के.के. खण्डेलवाल)
अनुभाग अधिकारी